उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-88/2026/1272/2026-27-10001(099)/5/2022-10
लखनऊः दिनांकः 19 अगस्त, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/अभिलेखों के आलोक में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 23.07.2026 में की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के याँत्रिक संवर्ग के निम्नलिखित अभियन्तागण को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के रूप में वेतनमान रू0 15600 से 39100/- ग्रेड-पे रू0 7600/- (पे मैट्रिक्स लेवल-12) का लाभ अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम सर्वश्री-	जन्मतिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य करने की तिथि
1	2	3	4
1.	संजय कुमार त्रिवेदी, मुख्य अभियन्ता (यां0) स्तर-2	07.05.1969	12.10.2016
2.	राजेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (यां0)	01.05.1973	19.10.2020
3.	बाबू सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (यां0)	10.01.1967	05.10.2016
4.	श्री हरिओम वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (यां0)	20.03.1972	14.09.2019

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-88 /2026/1272(1)/2026-27-10001(099)/5/2022-10-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यतक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) वित्त नियन्त्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदश, लखनऊ।
(4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(5) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सम्बन्धित अधिकारीगण, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।